vinetur

पोलैंड का राष्ट्रपति कार्यालय शराब के विज्ञापन और रात में बिक्री पर रोक की समीक्षा कर रहा है

अधिकारी पोलैंड की परिस्थितियों के अनुरूप सख्त नियम तय करने से पहले विदेशी मॉडलों का अध्ययन और विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं

सोमवार, 23 नवंबर 2026



पोलैंड का राष्ट्रपति कार्यालय उन प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है जिनमें शराब के विज्ञापन पर रोक लगाने और रात में शराब की बिक्री सीमित करने की बात है। मंजूरी मिलने पर इनसे देशभर में बीयर, वाइन और स्पिरिट्स की बिक्री तथा प्रचार के नियम सख्त हो सकते हैं।

सोमवार, 23 नवंबर को मंत्री लेश्केविच ने सुबह के कार्यक्रम TOK FM में एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि कोई फैसला लेने से पहले राष्ट्रपति कार्यालय संभावित उपायों का विश्लेषण कर रहा है। राष्ट्रपति के चांसलरी द्वारा प्रकाशित जानकारी के अनुसार, समीक्षा का ध्यान इस बात पर है कि क्या दूसरे देशों में ऐसे प्रतिबंध कारगर रहे हैं और उन्हें पोलैंड की परिस्थितियों के अनुरूप कैसे ढाला जा सकता है।

इन प्रस्तावों का उद्देश्य अत्यधिक शराब सेवन से जुड़े नुकसान को कम करना है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और शराब के दुरुपयोग से जुड़ी सामाजिक समस्याओं तथा सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी दिक्कतों को घटाने के व्यापक प्रयास के तहत इन प्रतिबंधों पर विचार किया जा रहा है, खासकर देर रात के घंटों में।

लेश्केविच ने कहा कि किसी भी प्रतिबंध या बिक्री पर रोक का दायरा और ब्योरा तय करने में विशेषज्ञों तथा आम लोगों से परामर्श अहम होगा। इससे संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति कार्यालय इन उपायों को स्वतः लागू होने वाला नहीं मान रहा, बल्कि आगे बढ़ने का फैसला लेने से पहले उनके संभावित प्रभावों को परख रहा है।

अधिकारी की टिप्पणियों से पता चलता है कि दो क्षेत्रों पर खास तौर पर विचार किया जा रहा है। पहला है विज्ञापन, जहां व्यापक रोक से शराब उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं के उपभोक्ताओं तक पहुंचने का तरीका बदल जाएगा। दूसरा है रात के समय खुदरा बिक्री की उपलब्धता, जहां बिक्री के घंटों पर पाबंदी से सुविधा स्टोर, सुपरमार्केट, गैस स्टेशन और अंधेरा होने के बाद मादक पेय बेचने वाले अन्य कारोबार प्रभावित हो सकते हैं।

पेय उद्योग के लिए दांव काफी ऊंचे हैं। शराब के विज्ञापन पर देशव्यापी कोई भी पाबंदी ब्रुअरी, वाइन उत्पादकों और स्पिरिट्स कंपनियों की विपणन रणनीतियों को बदल सकती है, जबकि रात में बिक्री पर रोक से बड़े उपभोक्ता बाजार में बिक्री के तौर-तरीके बदल सकते हैं। असर इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंध कितना व्यापक है, किन उत्पादों पर लागू होता है और क्या अपवादों की अनुमति दी जाती है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने इस चर्चा को अंतिम फैसले के बजाय नीतिगत समीक्षा के रूप में पेश किया है। उसकी सार्वजनिक टिप्पणियों में विदेशों के साक्ष्यों और नियमों को पोलैंड की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि अधिकारी केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के पक्ष में दलीलों का ही नहीं, बल्कि व्यवहार में नियमों के काम करने के तरीके का भी आकलन कर रहे हैं।

यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि शराब का नियमन एक साथ कई परस्पर प्रतिस्पर्धी हितों से जुड़ा है, जिनमें स्वास्थ्य नीति, कारोबारी गतिविधियां, उपभोक्ताओं की पहुंच और सार्वजनिक व्यवस्था शामिल हैं। विशेषज्ञों से परामर्श और तुलनात्मक विश्लेषण पर जोर देकर राष्ट्रपति कार्यालय संकेत दे रहा है कि वह आगे होने वाले किसी भी फैसले के लिए ठोस आधार चाहता है।

लेश्केविच की टिप्पणियों से यह भी जाहिर होता है कि पोलैंड में बहस केवल शराब के सेवन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों पर भी केंद्रित है जो अत्यधिक सेवन को बढ़ावा दे सकती हैं—जैसे देर रात तक शराब की उपलब्धता और व्यावसायिक प्रचार। इससे मौजूदा समीक्षा उस व्यापक यूरोपीय रुझान का हिस्सा बनती है, जिसमें सरकारों ने लत, हिंसा और शराब से जुड़े अन्य नुकसान से निपटने के उपायों के तौर पर शराब के विपणन और उपलब्धता पर सीमाओं की जांच की है।

TOK FM पर उपस्थिति के बाद जारी टिप्पणियों में कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन हैं और हस्ताक्षर संबंधी फैसला लेने से पहले उनकी जांच की जा रही है। फैसला होने तक पोलैंड में शराब उत्पादक, खुदरा विक्रेता और विज्ञापनदाता इस बात के संकेतों पर करीबी नजर रख सकते हैं कि प्रतिबंध कितनी दूर तक जा सकते हैं।